

पत्रांक-श्रम क०सं०-32/2026(अंश)-१६४
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कागगार एवं शिल्पकार सागाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा क ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति अर्थात् कुल राशि **रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र)** अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाग, उनके आश्रितों का नाग एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाग, उग्र, पिता/पति का नाग, कोटि	आश्रित का नाग (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोवाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाग, आई.एफ. एरा.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रघु० सुरेन पासवान, 58, चिनाय पासवान, अनुसूचित वर्ग	छेदनी देवी (पत्नी)	449 22.05.2026	ग्राम-मजहरपट्टी, वार्ड-03, पो०+थाना 1 प्र० उदाशिनगंज, जिला मधेपुरा 0360310780	3790632 8882	SBI SBIN000 4525	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु कृषि श्रमिक

कुल :- 50,000/-

(पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-32/2026(अंश)-१६४

पटना, दिनांक :- 28/07/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक